

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 914

थाना कांड संख्या-31 वर्ष- 2022 थाना- एन.आई.ए. जिला- पटना से संबंधित

=====

मंजेर परवेज़ @ मंजार परवेज़ पिता- अब्दुल कयूम, मोहल्ला- गुलिस्तान, थान-
फुलवारीशरीफ, जिला-पटना

.....अपीलार्थी

बनाम

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी बिहार के माध्यम से भारत संघ

.....प्रतिवादी

=====

साथ

2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 810

थाना कांड संख्या-31 वर्ष- 2022 थाना- एन.आई.ए. जिला- पटना से संबंधित

=====

अब्दुर रहमान @ अब्दुल रहमान पिता- मोहम्मद याहया, निवासी- मोहल्ला-
कठोटिया, थान- बरारी, जिला- कटिहार

.....अपीलार्थी

बनाम

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी बिहार के माध्यम से भारत संघ

.....प्रतिवादी

=====

साथ

2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 811

थाना कांड संख्या-31 वर्ष- 2022 थाना- एन.आई.ए. जिला- पटना से संबंधित

=====

महबूब आलम @ महबूब नदवी पिता- अब्दुल राशिद, निवासी- ग्राम- रामनगर बंसी बारी, थाना- हसनगंज, जिला- कटिहार, बिहार

.....अपीलार्थी

बनाम

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी बिहार

.....प्रतिवादी

=====

साथ

2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 890

थाना कांड संख्या-31 वर्ष- 2022 थाना- एन.आई.ए. जिला- पटना से संबंधित

=====

शमीम अख्तर पिता- मोहम्मद वसीमुद्दीन, निवासी- मोहल्ला- खासगंज, थाना- सोहसराय, जिला- नालंदा @ बिहारशरीफ

.....अपीलार्थी

बनाम

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी भारत के माध्यम से भारत संघ

.....प्रतिवादी

साथ

2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 917

थाना कांड संख्या-31 वर्ष- 2022 थाना- एन.आई.ए. जिला- पटना से संबंधित

1. मोहम्मद खालिकुज़्ज़मान @ खालिकुज़्ज़मान @ खालिकुर अमन पिता- रू वर्गीय अनवर अहमद, निवासी- मोहल्ला- गोनपुरा, थाना- फुलवारीशरीफ, जिला- पटना (बिहार)
2. मोहम्मद अमीन @ मोहम्मद अमीन आलम पिता- मोहम्मद जुबैर, निवासी मोहल्ला- गोनपुरा, थाना- फुलवारीशरीफ, जिला- पटना (बिहार)

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ

.....प्रतिवादी

उपस्थिति:

(2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 914 में)

अपीलार्थी के लिए: मो. सैयद मस्लेह उद्दीन अशरफ, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए: डॉ. कृष्ण नंदन सिंह (ए.एस.जी.)

श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री अंकित कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री शिवआदित्य धारी सिंह, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 810 में)

अपीलार्थी के लिए: मो. सैयद मस्लेह उद्दीन अशरफ, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए: डॉ. कृष्ण नंदन सिंह (ए.एस.जी.)

श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री अंकित कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री शिवआदित्य धारी सिंह, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 811 में)

अपीलार्थी के लिए: मो. सैयद मस्लेह उद्दीन अशरफ, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए: डॉ. कृष्ण नंदन सिंह (ए.एस.जी.)

श्री अरविंद कुमार, अधिवक्ता

श्री शिवआदित्य धारी सिंह, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 890 में)

अपीलार्थी के लिए: मो. सैयद मस्लेह उद्दीन अशरफ, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए: डॉ. कृष्ण नंदन सिंह (ए.एस.जी.)

श्री अरविंद कुमार, अधिवक्ता

श्री शिवआदित्य धारी सिंह, अधिवक्ता

(2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 917 में)

अपीलार्थी के लिए: मो. सैयद मस्लेह उद्दीन अशरफ, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए: डॉ. कृष्ण नंदन सिंह (ए. एस. जी.)

श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री अंकित कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री शिवआदित्य धारी सिंह, अधिवक्ता

- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 - जाँच एन.आई.ए. को स्थानांतरित - धारा 21(4) - अग्रिम जमानत देने के संबंध में -** अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120, 120 बी, 121, 121 ए, 153 ए, 153 बी एवं 34 तथा अवैध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13, धारा 43 डी (5) एवं (6) के अंतर्गत - माननीय प्रधान मंत्री की बिहार यात्रा को विफल करने का प्रयास - यदि समय रहते पुलिस ने इसे नाकाम न किया होता तो इससे देश में लोक व्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता। छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेज, विभिन्न भाषाओं में, आरोपियों की कुटिल योजनाओं की ओर संकेत करते हैं - ये लोग कट्टरपंथी संगठन की विचारधारा का समर्थन करते हैं जो इंडिया 2047" के रूप में इस्लामी शासन स्थापित करने का एजेंडा रखता है, आंतरिक दस्तावेज - देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को प्रशिक्षण देना - अपीलकर्ता छात्र इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से सक्रिय रूप से जुड़े थे, जो अब एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है - बरामद दस्तावेजों से पता चलता है कि यदि कुल मुस्लिम आबादी में से मात्र 10 प्रतिशत लोग पी.एफ.आई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के साथ आ जाएँ तो वे बहुसंख्यक समुदाय को अधीन कर सकते हैं। इस्लामिक शासन स्थापित करने हेतु चार चरण तय किए गए - मुस्लिमों को एकजुट कर उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण देना; चुनिंदा हिंसा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन और विरोधियों में आतंक पैदा करना; अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ गठबंधन कर हिंदू समाज में विभाजन लाना; किसी न किसी तरह पुलिस, सेना और न्यायपालिका में प्रवेश पाना - अंतिम चरण - जब पी.एफ.आई बाहरी शक्तियों की सहायता से इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित नया संविधान घोषित करे। प्रथम दृष्टया, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। (संदर्भित: आनंद तेलतुंबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन बम 1692; अहम्मदकुट्टी पोथियिल थोतिपराम्बिल बनाम भारत संघ 2023 एससीसी ऑनलाइन केर 5501; गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 2024 (1) पीएलजेआर (एससी) 417)

(पैरा 7 से 7.14)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद्र मालवीय

मौखिक निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तिथी:- 02-05-2024

सभी पाँच अपीलें, अर्थात् 2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 914 (मंजेर परवेज़ @ मंजार परवेज़ बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी बिहार के माध्यम से भारत संघ), 2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 810 (अब्दुर रहमान @ अब्दुल रहमान बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी बिहार के माध्यम से भारत संघ), 2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 811 (महबूब आलम @ महबूब नदवी बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी बिहार), 2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 890 (शमीम अख्तर पुत्र- मोहम्मद वसीमुद्दीन बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के माध्यम से भारत संघ) और 2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 917 (मो. खालिकुज्जमान @ खालिकुज्जमान @ खालिकुर अमन और मोहम्मद अमीन @ मो. अमीन आलम बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ) जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (संक्षेप में 'एन. आई. ए. अधिनियम') की धारा 21 (4) के तहत दायर की गई है, को अग्रिम

जमानत देने के मुद्दे पर एक साथ सुना गया है और उन्हें इस सामान्य आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

तथ्यात्मक मैटिक्स

2. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1. बिहार पुलिस को भारत के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के दौरान आरोपी व्यक्तियों की गड़बड़ी पैदा करने की योजना के बारे में जानकारी मिली थी। उक्त सूचना मिलने पर दिनांक 11.07.2022 को फुलवारी शरीफ पुलिस द्वारा जलालुद्दीन खान के घर पर छापेमारी की गई, जिसने अपने घर की ऊपरी मंजिल आरोपी अतहर परवेज को किराए पर दी थी। अतहर परवेज द्वारा किराए पर लिए गए घर के फर्श से, भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के साथ-साथ भारत के संविधान को नष्ट करके भारत में अखिल इस्लामी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए। बरामद दस्तावेजों को पढ़ने से पता चला कि उपरोक्त एजेंडे को लागू करने के लिए सशस्त्र संघर्ष और हिंसक साधनों के प्रचार का सुझाव मिलता है।

2.2. उक्त जलालुद्दीन खान @ मो. जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अन्य 25 व्यक्तियों के नाम बताए जो गैरकानूनी गतिविधियों में भी शामिल थे और इसलिए, सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ, 2022 का फुलवारी शरीफ थाना मामला संख्या 827 दर्ज किया गया था।

2.3. रिकॉर्ड से आगे यह प्रतीत होता है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करने के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संक्षेप में एन.आई.ए.) को दिनांक 22-07-22 के आदेश के माध्यम से मामले की जांच करने का निर्देश दिया। उक्त निर्देश के अनुसरण में, एनआईए ने भारतीय दंड

संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धाराओं 120, 120बी, 121, 121ए, 153 ए, 153 बी और 34 के तहत दिनांक 22.07.2022 को आरसी-31/2022/एनआईए/डीएलआई के रूप में मामले को फिर से पंजीकृत किया। इसके बाद, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (संक्षेप में 'यूएपीए') की धारा 13 भी लागू की गई।

2.4. चूंकि वर्तमान अपीलार्थी अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं, इसलिए उन्होंने विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना, बिहार के समक्ष 2023 का विशेष मामला संख्या 02/2022 का आर. सी. संख्या 31 (2022 का फुलवारी शरीफ थाना मामला संख्या 827 से उत्पन्न) में अग्रिम जमानत देने के लिए अलग-अलग आवेदन दायर किए।

2.5. विवादित आदेशों के माध्यम से, विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना, बिहार ने अग्रिम जमानत देने के लिए संबंधित अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया और इसलिए, संबंधित अपीलार्थी ने एन. आई. ए. अधिनियम की धारा 21 (4) के तहत अलग से अपील दायर की।

3. हमने सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सैयद मसलेह उद्दीन अशरफ को सुना और सभी अपीलों में प्रतिवादी भारतीय संघ के विद्वान अधिवक्ताओं श्री मनोज कुमार सिंह और श्री अरबिंद कुमार की सहायता से भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉ के एन सिंह को सुना।

4. प्रारम्भ में, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 914/2023 के अपीलकर्ता अर्थात् मंज़र परवेज़ @ मंज़र परवेज़ को आरोपी संख्या 18 के रूप में दिखाया गया है, आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 516/2023 के अपीलकर्ता अर्थात् अब्दुर रहमान @ अब्दुल रहमान को आरोपी संख्या 24 के रूप में दिखाया गया है, आपराधिक

अपील (खंड पीठ) संख्या 811/2023 के अपीलकर्ता अर्थात् महबूब आलम @ महबूब नदवी को आरोपी संख्या 7 के रूप में दिखाया गया है, आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 890/2023 के अपीलकर्ता अर्थात् शमीम अख्तर को आरोपी संख्या 3 के रूप में दिखाया गया है, आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 917/2023 के अपीलकर्ता अर्थात् मोहम्मद खलीकुज्जमां @ खलीकुर अमन और मोहम्मद अमीन @ मोहम्मद अमीन आलम को क्रमशः आरोपी संख्या 14 और 15 बताया गया है।

अपीलार्थियों की ओर से निवेदन:

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि, संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के दौरान, दो व्यक्ति अर्थात् आरोपी संख्या 1 और 2 मौके से पाए गए। हालाँकि, उक्त अभियुक्त के बयान के आधार पर, वर्तमान अपीलार्थियों को फंसाया गया है और इसलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में, वर्तमान अपीलार्थियों को अभियुक्त के रूप में दिखाया गया है। इस स्तर पर, विद्वान वकील ने संकलन के पृष्ठ 27, यानी जब्ती सूची का उल्लेख किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त जब्ती सूची में घटना स्थल से पाए गए अभियुक्तों के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। विद्वान वकील ने संकलन के पृष्ठ 26, यानी दूसरी जब्ती सूची का भी उल्लेख किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त जब्ती सूची पर हालांकि आरोपी अतहर परवेज के हस्ताक्षर थे, लेकिन उक्त जब्ती सूची में दिखाई गई तारीख 13.07.2022 है। हालाँकि, वास्तव में, कुछ दस्तावेज़ 11.07.2022 पर जब्त किए गए थे। इस प्रकार, यह दावा किया जाता है कि उसी पर बाद में दबाव में एक आरोपी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और आरोपी जलालुद्दीन खान उर्फ मोहम्मद के आवासीय घर से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था न ही जलालुद्दीन या अतहर परवेज के किराए के परिसर से बरामद किया गया। इस प्रकार, उपरोक्त

जब्त सूची गलत तरीके से तैयार की गई थी और वास्तव में, उपरोक्त परिसर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया था।

5.1. इस स्तर पर, यह भी तर्क दिया जाता है कि केवल सात पन्नों की एक पुस्तिका/दस्तावेज़, "भारत 2047, इस्लामी भारत का शासन, आंतरिक दस्तावेज़" बरामद किया गया था, जिस दस्तावेज़ को इंटरनेट से कोई भी डाउनलोड कर सकता था।

5.2. इसके बाद अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने के समय बिहार में पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई.) पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। वास्तव में, यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत संगठन है, जो अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था और कानून के शासन को बनाए रखता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान एफ.आई.आर. जुलाई, 2022 में दर्ज की गई है। इसके बाद, उक्त संगठन पर दिनांक 28.09.2022 को, यानी प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही प्रतिबंधित कर दिया गया था।

5.3. अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता आगे कहते हैं कि आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 914/2023 के अपीलार्थी अर्थात् मंजेर परवेज़ @ मंज़ार परवेज़ एक सरकारी कर्मचारी है और एक तकनीशियन के रूप में काम कर रहा है और पी.एफ.आई. से जुड़ा नहीं है। इसी तरह, आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 890/2023 के अपीलार्थी अर्थात् शमीम अख्तर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है और जिन्होंने चुनावों में भाग लिया है। उक्त अपीलार्थी भी प्रतिबंधित संगठन यानी पी.एफ.आई. का सदस्य नहीं है और बल्कि वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। अन्य

अपीलार्थी भी पी.एफ.आई. के सदस्य नहीं हैं, जिसके बावजूद उन्हें प्रश्नगत एफ.आई.आर. में फंसाया गया है।

5.4. इस स्तर पर, यह तर्क दिया जाता है कि भले ही व्यक्ति किसी ऐसे संगठन का सदस्य हो जिसे प्रासंगिक समय पर प्रतिबंधित नहीं किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने यू.ए.पी.ए. के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है।

5.5. इसके बाद अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 120बी, 121, 121ए, 153ए, 153बी और 34 का उल्लेख किया और तर्क दिया कि उपरोक्त प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता हैं। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने यू.ए.पी.ए. की धारा 13 में निहित प्रावधान का भी उल्लेख किया और उसके बाद प्रस्तुत करते हैं कि उक्त प्रावधान भी लागू नहीं होता है। इस प्रकार, प्रतिवादी एन.आई.ए. यू.ए.पी.ए. के तहत अपीलार्थियों द्वारा अपराध करने का कोई भी प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा है। इसलिए, यू.ए.पी.ए. की धारा 43 डी (4) के तहत निहित प्रतिबंध को लागू नहीं होंगे।

5.6. इसलिए अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि जब उपरोक्त प्रावधान के तहत रोक वर्तमान मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होता है, तो विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना, बिहार को अपीलार्थियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर विचार करना चाहिए था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना, बिहार द्वारा पारित विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए और अपीलार्थियों को उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

5.7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने **वर्नोन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (एआईआर 2023 एससी 3926)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। विद्वान वकील ने, विशेष रूप से, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 36 और 43 का संदर्भ दिया। उन्होंने **शोमा कांति सेन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य** के मामले में आपराधिक अपील संख्या 2595/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05.04.2024 के आदेश पर भी भरोसा जताया।

विद्वान ए.एस.जी का प्रस्तुतीकरण:

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी एन.आई.ए. की ओर से उपस्थित भारत के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इन सभी अपीलों का जोरदार विरोध किया है। विद्वान ए.एस.जी. ने प्रत्येक अपील में एन.आई.ए. की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों का उल्लेख किया है और उसके बाद प्रस्तुत किया है कि, एफ.आई.आर. दर्ज करने और एन.आई.ए. अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद, प्रतिवादी एन.आई.ए. ने जांच की है और जांच के दौरान, अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और बाकी अभियुक्तों के खिलाफ भी जिनके नाम एफ.आई.आर. में हैं। अभिलेख के द्वारा इंगित किया गया है कि जाँच एजेन्सी गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है जिसमें जाँच के क्रम में एकत्रित किए गए सामग्री को संदर्भित किया है।

6.1. इस स्तर पर, विद्वान ए. एस. जी. ने बताया है कि दो अन्य सह-अभियुक्त, नमत: जलालुद्दीन खान @ मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज, जिन्हें घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया था, प्रतिवादी ने आरोप पत्र दायर किया है। उक्त सह-अभियुक्तों ने एक प्रार्थना के साथ जमानत याचिका दायर की कि उन्हें

जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसके अलावा, जमानत के लिए उनकी याचिका पर विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना, बिहार की अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया और इसलिए, उक्त सह-अभियुक्त ने आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 2023 का 514 और 2023 का 516 क्रमशः दाखिल किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर विचार करने के बाद, उपरोक्त सह-अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों को दिनांक 28.11.2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अपीलों को खारिज करते हुए, समन्वय पीठ ने विशेष रूप से कहा है कि उपरोक्त दो सह-अभियुक्तों के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है। विद्वान ए.एस.जी. ने दोनों सह-अभियुक्तों के मामले में समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 28.11.2023 आदेश की प्रति प्रस्तुत की है।

6.2. इस स्तर पर, विद्वान ए.एस.जी. ने यू.ए.पी.ए. की धारा 43 डी (4) में निहित प्रावधानों का उल्लेख किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन उपरोक्त प्रावधान को देखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं हैं। उक्त तर्क के समर्थन में, विद्वान ए.एस.जी. ने **आनंद तेलतुम्बडे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा रखा है, जो 2020 एससीसी ऑनलाइन बॉम 1692 में रिपोर्ट किया गया है। तदनुसार, विद्वान ए. एस. जी. ने उक्त निर्णय के पारा 45 से 50 का उल्लेख किया है। इस स्तर पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संबंधित आरोपी ने एसएलपी (सीआरएल) संख्या 1916/2020 दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। यह प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यू.ए.पी.ए. की धारा 43 डी (4) में निहित

प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद संबंधित अभियुक्त द्वारा दायर उक्त एस.एल.पी. को भी खारिज कर दिया है।

6.3. विद्वान ए. एस. जी. ने **अहमदकुट्टी पोथियाल थोट्टीपराम्बिल बनाम भारत संघ** के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा रखा है, जो 2023 एससीसी ऑनलाइन केर 5501 में रिपोर्ट किया गया है। विद्वान ए.एस.जी. ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 16, 18 और 28 का विशेष रूप से उल्लेख किया है।

6.4. इसके बाद विद्वान ए.एस.जी. ने **गुरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए नवीनतम निर्णय पर भरोसा किया है, जो **2024 (1) पी.एल.जे.आर. (एस.सी.) 417** में रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि उक्त मामले में यूएपीए की धारा 43डी (4) में निहित प्रावधानों पर विचार करने के बाद संबंधित आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

6.5. इसके बाद विद्वान ए.एस.जी. ने विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना, बिहार द्वारा पारित विवादित आदेशों को संदर्भित किया और इसके बाद प्रस्तुत किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना, बिहार द्वारा संबंधित अपीलार्थियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कोई त्रुटियां नहीं की गई है। इसलिए उन्होंने सभी याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह की।

6.6. विद्वान ए.एस.जी. ने इस स्तर पर प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता-अभियुक्त से अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता है और जब समन्वय पीठ ने अन्य दो सह-अभियुक्तों द्वारा दायर

जमानत याचिकाओं पर विचार नहीं किया है, तो वर्तमान अपील, जो अग्रिम जमानत देने के लिए दायर की गई हैं, पर विचार नहीं किया जा सकता है।

चर्चा और मंतव्य:

7. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों को देखने के बाद, यह सामने आता है कि शुरू में फुलवारी शरीफ थाना कांड संख्या 827/2022 की प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 120 बी, 121, 121 ए, 153 ए, 153 बी और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। इसके बाद, भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करने के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दिनांक 22.07.2022 के आदेश के माध्यम से मामले की जांच करने का निर्देश दिया और इसलिए, आर.सी. मामला दर्ज किया गया। यह भी पता चलता है कि यू.ए.पी.ए. की धारा 13 भी लागू की गई थी। यह आगे पता चलता है कि दो अभियुक्तों को घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया था, यानी जलालुद्दीन खान @ मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज, जिन्होंने छापे के समय वर्तमान अपीलार्थियों के नाम दिए थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जांच एजेंसी ने जांच की है और जाँच के दौरान, सभी अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए हैं। इसके बाद जांच एजेंसी ने दो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिन्हें घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि सह-अभियुक्त जलालुद्दीन खान उर्फ मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज़ ने विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए, पटना, बिहार के समक्ष जमानत आवेदन दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया और, इसलिए, उन्होंने आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 514/2023 और 516/2023 दायर की। यह विवाद में नहीं है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए समान प्रकार के तर्कों पर विचार करने के बाद और

जांच पत्रों को सत्यापित करने के बाद और यू.ए.पी.ए. की धारा 43 डी (5) और (6) में निहित प्रावधानों पर विचार करने के बाद विशेष रूप से कहा कि उक्त अभियुक्त के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मामला बनाया गया है। अतः समन्वय पीठ ने उक्त दो सह-अभियुक्तों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है।

7.1. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी एन.आई.ए. ने सभी अपीलों में जवाबी हलफनामा दायर किया है और अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ दायर आरोप पत्र की प्रति भी रिकॉर्ड में रखी गई है। अभिलेख पर रखी गई सामग्री से, हमने पाया है कि संबंधित आरोपी जलालुद्दीन खान @मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज ने जब्ती सूची पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। यह ध्यान देने योग्य है कि समन्वय पीठ ने उपरोक्त दो सह-अभियुक्तों द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए, वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए समान तर्कों पर विचार किया है और उसके बाद पैराग्राफ 17 से 23 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

“17. हमने सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए पुलिस के कागजात, आरोप पत्र और संरक्षित गवाहों के बयानों की जांच की है।

18. जाँच के दौरान यह पता चला कि प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा में बाधा डालने की एक निश्चित योजना थी। छापे के दौरान, दस्तावेज़ के पांच सेट, इस्लामिक भारत के शासन की ओर भारत 2047, आंतरिक दस्तावेज़; जो कि प्रचार के लिए नहीं था और 20 फरवरी, 2021 को विभिन्न भाषाओं में पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पर्ची बरामद की गई। दस्तावेज़ों ने पी.एफ.आई. की गतिविधियों में भागीदारी का प्रचार और आश्वासन दिया।

19. अपीलार्थी/जलालुद्दीन खान @मो. जलालुद्दीन ने 6 और 7 जुलाई, 2022 को पी.एफ.आई. के कैंडर को प्रशिक्षण प्रदान करने

के लिए अपीलार्थी/अतहर परवेज को अपने घर की पहली मंजिल किराए पर देने की बात स्वीकार की (वास्तव में, किराये का दस्तावेज अपीलार्थी/जलालुद्दीन खान @मोहम्मद जलालुद्दीन की पत्नी और अपीलार्थी/अतहर परवेज के नाम पर है)। 6 और 7 जुलाई, 2022 को पूर्व-उल्लिखित प्रशिक्षण में बिहार राज्य से बाहर के कई व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसकी पुष्टि अपीलकर्ता/अतहर परवेज ने की, जिन्होंने स्वीकार किया कि वे पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से सक्रिय रूप से जुड़े थे, जो आज एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। वह जेल में बंद सिमी के सदस्यों को कानूनी सहायता प्रदान कर रहा था। जांच से पता चला कि पी.एफ.आई. के निर्देश पर, वह भारत में मुसलमानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का बदला लेने और उन व्यक्तियों पर हमला करने के उद्देश्य से पूर्व-सिमी सदस्यों का एक गुप्त समूह तैयार कर रहा था, जिन्होंने अतीत में इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। जांच के दौरान पाया गया कि यह सभा अमरावती (महाराष्ट्र) और उदयपुर (राजस्थान) में इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के प्रतिशोध में की गई कार्रवाई के समर्थन में थी।

20. अपीलार्थियों/जलालुद्दीन खान @मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज, के परिसर से बरामद दस्तावेजों से यह पाया गया कि इसमें एक अनुमान था कि भले ही कुल मुस्लिम आबादी का 10 प्रतिशत पी. एफ. आई. के पक्ष में एकजुट हो जाए, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय अधीन हो जाएगा। भारत में इस्लाम के शासन को स्थापित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चार चरणों का वर्णन किया

गया था। वे चरण इस प्रकार हैं: मुसलमानों को एकजुट करना और हथियारों का प्रशिक्षण देना; ताकत का प्रदर्शन करने और विरोधियों को आतंकित करने के लिए चुनिंदा रूप से हिंसा का उपयोग करना; हिंदुओं को विभाजित करने और किसी न किसी तरह पुलिस, सेना और न्यायपालिका में घुसपैठ करने के लिए एस.सी. और एस.टी. के साथ गठबंधन। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अंतिम चरण की कल्पना की गई थी जब पी.एफ.आई., बाहरी ताकतों की मदद से इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक नए संविधान की घोषणा करेगा। ऐसा करते हुए, यह भी आग्रह किया गया कि बाबरी मस्जिद के संदर्भ का उपयोग कट्टरता और जन आंदोलन के लिए किया जाए। इसने चरमपंथी हिंदू संगठनों के खिलाफ जानकारी एकत्र करने का भी सुझाव दिया ताकि चुनिंदा बदला लिया जा सके।

21. जाँच के दौरान, जब्त किए गए मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल उपकरणों को डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण के लिए तिरुवनंतपुरम, केरल भेजा गया था। निकाले गए आंकड़े सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक वीडियो से भरे हुए पाए गए जिन्हें धार्मिक शत्रुता और घृणा फैलाने के लिए प्रसारित किया गया था। उन निकाले गए आंकड़ों ने पी.एफ.आई. और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में अपीलार्थियों की भागीदारी की भी पुष्टि की।

22. संरक्षित गवाहों, अर्थात् एक्स, वाई और जेड के बयानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन सभी को छात्रवृत्ति प्रदान करने का वादा करके पी.एफ.आई. में शामिल होने के लिए लुभाया गया था

और बाद में उन्हें नफरत के नापाक भंवर में खींचने का प्रयास किया गया। उनकी भर्ती का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम सशक्तिकरण को और बढ़ावा देना और पी.एफ.आई. की भविष्य की योजनाओं को लागू करना था।

23. हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर किसी भी अधिक विस्तार से चर्चा और मूल्यांकन न करें, सिवाय एन.आई.ए की विशेष अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं की जमानत की प्रार्थना को खारिज करने के आदेश की सत्यता की जांच के प्रयोजन के लिए।”

7.2. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि संबंधित सह-अभियुक्त उक्त आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर करने की प्रक्रिया में हैं। हालाँकि, उन्होंने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि, आज तक, उपरोक्त दो सह-अभियुक्तों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

7.3. हमने अपने सामने रखी गई सामग्री की जांच की है, जिससे यह पता चलता है कि न केवल माननीय प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा को बाधित करने की साजिश रची गई थी, बल्कि देश में सार्वजनिक व्यवस्था पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता, अगर पुलिस समय पर इसे विफल नहीं कर पाती। छापे के दौरान अलग-अलग भाषाओं में बरामद किया गया दस्तावेज़ अभियुक्त के नापाक मंसूबों के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो इस्लामिक भारत के शासन की दिशा में एजेंडा इंडिया 2047, आंतरिक दस्तावेज का प्रचार करने वाले कट्टरपंथी संगठनों की विचारधारा का समर्थन करता था।

7.4. सह-अभियुक्त जलालुद्दीन खान @ मो. जलालुद्दीन ने 6 और 7 जुलाई, 2022 को पी.एफ.आई. के कैंडर को प्रशिक्षण देने के लिए अपने घर की पहली मंजिल को अतहर परवेज को किराए पर देने की बात स्वीकार की है। उक्त किराये का दस्तावेज़ जलालुद्दीन खान @ मोहम्मद जलालुद्दीन की पत्नी और अतहर परवेज के नाम पर है। दिनांक 6 एवं 7 जुलाई, 2022 को आयोजित उक्त प्रशिक्षण में देश के विभिन्न भागों से अनेक व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसकी पुष्टि अतहर परवेज ने भी की। अतहर परवेज ने जेल में बंद सिमी सदस्यों को कानूनी सहायता प्रदान करके पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से सक्रिय रूप से जुड़े होने की बात स्वीकार की है, जो अब एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। जाँच के दौरान, यह पता चला कि वह भारत में मुसलमानों के खिलाफ किए गए कथित अत्याचारों का बदला लेने और पी.एफ.आई. के इशारे पर इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों पर हमला करने के उद्देश्य से सिमी के पूर्व सदस्यों का एक गुप्त समूह तैयार कर रहा था। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त प्रशिक्षण का आयोजन अमरावती (महाराष्ट्र) और उदयपुर (राजस्थान) में इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के प्रतिशोध में की गई कार्रवाई के समर्थन में किया गया था।

7.5. जलालुद्दीन खान उर्फ मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज़ के परिसरों से बरामद दस्तावेजों से पता चलता है कि यदि कुल मुस्लिम आबादी का 10 प्रतिशत भी पीएफआई के पीछे लामबंद हो जाए, तो बहुसंख्यक समुदाय अधीन हो जाएगा। भारत में इस्लाम के शासन को स्थापित करने के लिए चार चरण विकसित किए गए थे, उदाहरण के लिए, मुसलमानों को एकजुट करना और हथियारों का प्रशिक्षण देना। ताकत का प्रदर्शन करने और विरोधियों को आतंकित करने के लिए चुनिंदा रूप से हिंसा का उपयोग करना; हिंदुओं को विभाजित करने और किसी

न किसी तरह पुलिस, सेना और न्यायपालिका में घुसपैठ करने के लिए एस.सी. और एस.टी. के साथ गठबंधन करना। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अंतिम चरण की कल्पना की गई थी जब पी.एफ.आई., बाहरी ताकतों की मदद से इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक नए संविधान की घोषणा करेगा। ऐसा करते समय, यह भी आग्रह किया गया कि बाबरी मस्जिद के संदर्भ का उपयोग कट्टरता और जन आंदोलन के लिए किया जाए। इसने चरमपंथी हिंदू संगठनों के खिलाफ जानकारी एकत्र करने का भी सुझाव दिया ताकि चुनिंदा बदला लिया जा सके।

7.6. जाँच के दौरान, जब्त किए गए मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल उपकरणों को डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण के लिए तिरुवनंतपुरम, केरल भेजा गया था। निकाले गए आंकड़े सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक वीडियो से भरे हुए पाए गए जिन्हें धार्मिक शत्रुता और घृणा फैलाने के लिए प्रसारित किया गया था। निकाले गए आंकड़ों ने पी.एफ.आई. और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में अपीलार्थियों की भागीदारी की भी पुष्टि की।

7.7. इस प्रकार, जांच पत्रों और हमारे समक्ष रखे गए आरोप पत्र की प्रति से, हमारा विचार है कि वर्तमान अपीलार्थियों के खिलाफ भी *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है। यह सच है कि शुरू में उपरोक्त दो सह-अभियुक्तों के बयान के आधार पर, वर्तमान अपीलार्थियों को प्राथमिकी में आरोपित किया गया है। हालाँकि, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री *प्रथम दृष्टया* कथित गैरकानूनी गतिविधियों में अभियुक्त की संलिप्तता का संकेत देती है। यह भी पता चला है कि वर्तमान अपीलकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। जाँच पत्रों से यह आगे पता चलेगा कि *प्रथम दृष्टया* यह कहा जा सकता है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने यू.ए.पी.ए. के तहत दंडनीय कथित अपराध किए हैं और इसलिए, अग्रिम जमानत देने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलें विचारणीय नहीं होंगी। इस स्तर पर, यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है

कि वर्तमान अपीलों में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क, दो अन्य सह-अभियुक्तों, अर्थात् जलालुद्दीन खान उर्फ मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज़ द्वारा भी आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 514/2023 और 516/2023 में उठाए गए थे, हालाँकि, समन्वय पीठ ने इसी तरह की दलीलों पर विचार नहीं किया है और इस प्रकार उक्त दो सह-अभियुक्तों द्वारा दायर जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया। यह विवाद में नहीं है कि आज तक दो सह-अभियुक्तों के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश को उच्च मंच द्वारा दरकिनार नहीं किया गया है। इसलिए, वर्तमान अपीलों में अपीलार्थियों द्वारा की गई इसी तरह की दलीलें गलत हैं।

7.8. इस स्तर पर, हम **आनंद तेलतुम्बडे** (उपरोक्त) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में पैराग्राफ 45, 49 और 50 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

45. यू.ए.पी.ए. अधिनियम की धारा 43डी(4) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि धारा 438 उक्त अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में संहिता लागू नहीं होगी। विधानमंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की प्रयोज्यता को कुछ उद्देश्य के साथ हटा दिया है। उद्देश्य को यू.ए.पी.ए. अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने वाले आरोपी को जमानत देने के लिए धारा 43डी (5) में लगाए गए बंधनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यू.ए.पी.ए. अधिनियम व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों

से निपटने और उनसे जुड़े मामलों के लिए लागू किया गया था। यू. ए. पी. ए. अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है:

“व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे जुड़े मामलों के लिए एक अधिनियम;

[जबकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अपनी 4385 वीं बैठक में 28 सितंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत प्रस्ताव 1373 (2001) को अपनाया, जिसमें सभी राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता थी;]

और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) और 1822 (2008) में राज्य से कुछ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने, संपत्ति और अन्य आर्थिक संसाधनों को जब्त करने, उनके क्षेत्र में प्रवेश या पारगमन को रोकने और अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं को हथियारों और गोला-बारूद की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण को रोकने की आवश्यकता है;

और चूंकि केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आतंकवाद की रोकथाम और

दमन (सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 बनाया है;

और क्योंकि उक्त प्रस्तावों और आदेश को प्रभावी बनाना और आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए विशेष प्रावधान करना आवश्यक समझा जाता है।”

49. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यू.ए.पी.ए. अधिनियम की धारा 43डी (4) को लागू करने के पीछे एक उद्देश्य है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की प्रयोज्यता के लिए बाधा पैदा करता है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम जमानत की मांग करने वाला आवेदन कानून में बनाए रखने योग्य नहीं है।

50. आवेदक के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया था कि यू.ए.पी.ए. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई सबूत नहीं है और इसलिए इस आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतिकरण अस्वीकार किए जाने के योग्य है। विद्वान वकील ने सत्र न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किया था कि यू.ए.पी.ए. अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आवेदक पर आई.पी.सी और यू.ए.पी.ए अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है। यहां तक कि आवेदक के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, रिकॉर्ड पर सभी सामग्री के अवलोकन पर,

यह देखा जा सकता है कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता को दर्शाने वाले प्रथम दृष्टया सबूत हैं। इसलिए, सामग्री के आलोक में, उक्त प्रस्तुतिकरण भी अस्वीकार किए जाने के योग्य है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली (उपरोक्त) के मामले में पैराग्राफ 27 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई और रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की गई सामग्री और केस डायरी से इसकी गणना करने की आवश्यकता है न कि साक्ष्य या परिस्थितियों के अलग-अलग टुकड़ों का विश्लेषण करके। किसी भी मामले में, साक्ष्य में अस्वीकार्य होने के आधार पर, इस स्तर पर दस्तावेज़ को त्यागने का सवाल स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि, दस्तावेज़/साक्ष्य की स्वीकार्यता का मुद्दा परीक्षण का विषय होगा। न्यायालय को दस्तावेज़ की सामग्री को देखना चाहिए और इस तरह के दस्तावेज़ को ध्यान में रखना चाहिए। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 52 में यह देखा गया कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामग्री और साक्ष्य की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता का मुद्दा परीक्षण का विषय होगा।”

7.9. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि संबंधित आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16.03.2020 दिनांकित आदेश के माध्यम से एसएलपी को खारिज कर दिया। इन दोनों आदेशों की प्रतियों को विद्वान वकील द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया है।

7.10. अहमदकुट्टी पोथियाल थोट्टीपरम्बिल (ऊपर), के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 28 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“28. हालाँकि, जैसा कि उल्लेख किया गया है, सभी के खिलाफ मामले में अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की गई है। यहां तक कि जिन आरोपियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट पहले ही दाखिल हो चुकी है, उनके खिलाफ भी आगे की जांच चल रही है। अपीलार्थी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की गई है, क्योंकि अपराध में उसकी संलिप्तता की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अपीलार्थी के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट जमा नहीं करने के लिए बताए गए कारणों में से एक यह है कि उससे अभी तक पूछताछ नहीं की गई है क्योंकि वह पूरी तरह से गिरफ्तारी से बच रहा है, और अपीलार्थी के खिलाफ अब तक एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपराध में उसकी संलिप्तता की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए उसका हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। कुछ अभियुक्तों के खिलाफ अपराध में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के कथनों को ध्यान में रखते हुए, जहां अपीलार्थी की कथित संलिप्तता के बारे में भी संदर्भ है, हमारा विचार है कि जांच एजेंसी का यह रुख अपनाते में दोष नहीं पाया जा सकता है कि मामले में अपीलार्थी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। संहिता की धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद संहिता की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच करने पर कोई रोक नहीं है। आगे की जाँच केवल पहले की जाँच की निरंतरता है। इस स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य बनाम हेमेंद्र रेड्डी, 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 515 में हाल के

फैसले में भी दोहराया गया है। कहने की जरूरत नहीं है, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि अपराध में कुछ अभियुक्तों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है, इसलिए जाँच एजेंसी अपीलार्थी के खिलाफ कोई अतिरिक्त सामग्री नहीं ला सकती है और इसलिए अपीलार्थी को मामले में शेष अभियुक्तों के बराबर माना जाना चाहिए, जिन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है, इसलिए यह तर्क बेबुनियाद है। दूसरे शब्दों में, गुण-दोष के आधार पर भी, हमारे अनुसार, यह कोई असाधारण मामला नहीं है जिसमें अदालत गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है, यदि इस तरह की शक्ति का उपयोग यूएपी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े इस प्रकृति के मामले में किया जा सकता है।”

7.11. **गुरिंदर सिंह** (ऊपर) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय संबंधित अभियुक्त द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार कर रहा था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 19 और 20 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“19. इसलिए अदालतों पर एक संवेदनशील कार्य का बोझ है। यू.ए.पी. अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों से निपटने में, अदालतें केवल इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या जमानत को अस्वीकार करने का औचित्य है। 'औचित्य' की खोज केस डायरी और विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से की जानी चाहिए। विधायिका ने संतुष्टि की डिग्री के उपाय के रूप में एक निम्न, 'प्रथम दृष्टया' मानक निर्धारित किया है, जिसे अदालत द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए जब औचित्य की जांच करना हो [अभिलेख पर सामग्री]।

इस मानक को 'मजबूत संदेह' के मानक के साथ विपरीत किया जा सकता है, जिसका उपयोग अदालतों द्वारा 'निर्वहन' के लिए आवेदनों की सुनवाई करते समय किया जाता है। वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय ने जहूर अली वटाली² में इस अंतर को देखा है, जहाँ उसने कहा है:

“किसी भी मामले में, अदालत द्वारा यह मानने के लिए संतोष की डिग्री दर्ज की जानी चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है, 1967 के अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में आरोप लगाने या आरोप हटाने के आवेदन पर विचार करने के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री से कम है।”

20. इस पृष्ठभूमि में, जमानत की अस्वीकृति के लिए परीक्षण काफी स्पष्ट है। जमानत को एक 'नियम' के रूप में अस्वीकार किया जाना चाहिए, यदि लोक अभियोजक को सुनने के बाद और अंतिम रिपोर्ट या केस डायरी को देखने के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं। यह केवल तभी होता है जब जमानत की अस्वीकृति के लिए परीक्षण संतुष्ट नहीं होता है-कि अदालतें 'तिपाई परीक्षण' (भागने का जोखिम, गवाहों को प्रभावित करना, सबूतों के साथ छेड़छाड़) के अनुसार जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगी। यह स्थिति धारा 43डी, की उप-धारा (6) द्वारा स्पष्ट की गई है। जो यह निर्धारित करता है कि उप-धारा (5) में निर्दिष्ट जमानत

देने पर प्रतिबंध, दंड प्रक्रिया संहिता या जमानत देने पर उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रतिबंधों के अतिरिक्त हैं।”

7.12. **वर्नोन** (ऊपर) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 26, 29, 36 और 43 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“26. अभियोजन पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किसी भी सामग्री में, 1967 अधिनियम की धारा 15 (1) के उपखंड (ए) में निर्दिष्ट कार्यों के लिए अपीलार्थियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। न ही उनके खिलाफ ऐसा कोई आरोप है जो उक्त कानून की धारा 15 (1) के उपखंड (सी) को आकर्षित करे। जहां तक धारा 15 (1) (बी) में निर्दिष्ट कार्यों का संबंध है, अपीलार्थियों से कथित रूप से बरामद किए गए कुछ साहित्य स्वयं ऐसी गतिविधियों के प्रचार का संकेत देते हैं। लेकिन अपीलार्थियों के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रथम दृष्टया यह स्थापित कर सके कि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन या अपीलार्थियों द्वारा ऐसा करने के प्रयासों के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी को परेशान करने वाली हों। न ही उनके खिलाफ किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मौत या ऐसे पदाधिकारी की मौत का प्रयास करने का आरोप है। केवल जिन कुछ साहित्यों के माध्यम से हिंसक कृत्यों का प्रचार किया जा सकता है, वे वस्तुतः उक्त अधिनियम की धारा 15 (1) (बी) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेंगे। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, हमारी राय में, हम यथोचित रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकते हैं कि 1967 अधिनियम की

धारा 15(1)(बी) के तहत अपीलार्थियों के खिलाफ किसी भी मामले को सही माना जा सकता है।

29. हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे लिए यह राय बनाना संभव नहीं है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि अपीलार्थी के खिलाफ आतंकवादी कार्य करने या साजिश रचने का आरोप प्रथम दृष्टया सच है। गवाह के बयान अपीलार्थियों द्वारा कथित रूप से किए गए किसी भी आतंकवादी कृत्य का उल्लेख नहीं करते हैं। जिन पत्रों में अपीलकर्ताओं या उनमें से किसी एक को संदर्भित किया गया है, उनकी प्रतियां विभिन्न व्यक्तियों के बीच संचार में निहित अपीलकर्ताओं की गतिविधियों की केवल तीसरे पक्ष की प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया को दर्ज करती हैं। ये अपीलार्थियों से बरामद नहीं किए गए हैं। इसलिए, इन संचारों या उनकी सामग्री का संभावित मूल्य या गुणवत्ता कमजोर है। यह स्थिति होने के कारण, इस स्तर पर, प्रथम दृष्टया, अपीलार्थियों के खिलाफ न तो धारा 18 और न ही 18बी के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। नामित आतंकवादी संगठन की गतिविधियों के साथ अपीलार्थियों के संबंध को तीसरे पक्ष के संचार के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा, इनमें से किसी भी संचार से किसी भी आतंकवादी कृत्य में अपीलार्थियों की वास्तविक संलिप्तता सामने नहीं आई है। न ही 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत गिने गए अपराधों को करने की साजिश का कोई विश्वसनीय मामला है। सेमिनारों में केवल भाग लेना ही 1967 के अधिनियम की

जमानत-प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत अपराध नहीं हो सकता है, जिसके तहत उन पर आरोप लगाए गए हैं।

36. जहूर अहमद शाह वटाली (उपरोक्त) के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "प्रथम दृष्टया सत्य" अभिव्यक्ति का अर्थ यह होगा कि आरोप-पत्र में संबंधित अभियुक्त के खिलाफ आरोप के संदर्भ में जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री/साक्ष्य तब तक प्रबल होना चाहिए, जब तक कि अन्य साक्ष्यों द्वारा इसे दूर या अस्वीकृत नहीं किया जाता है, और इसके बावजूद, सामग्री को कथित अपराधों को करने में ऐसे अभियुक्त की संलिप्तता दिखानी चाहिए। यह अनुपात इस बात पर विचार करता है कि इसके बावजूद, अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रबल होना चाहिए। हालाँकि, हमारी राय में, यह प्रथम दृष्टया "परीक्षण" को तब तक संतुष्ट नहीं करेगा जब तक कि जमानत देने के प्रश्न की जांच के चरण में साक्ष्य के संभावित मूल्य का कम से कम सतह-विश्लेषण न हो और गुणवत्ता या संभावित मूल्य न्यायालय को संतुष्ट न करे। अपीलार्थियों के मामले में, जिन पत्रों के माध्यम से अपीलार्थियों की मांग की गई है, उनकी सामग्री सह-अभियुक्तों से बरामद किए गए सुने गए साक्ष्य की प्रकृति में संलिप्त हैं। इसके अलावा, इन पत्रों में अपीलकर्ताओं को किसी भी गुप्त या प्रत्यक्ष आतंकवादी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, या इन दोनों अपीलों के रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाली कोई अन्य सामग्री नहीं दी गई है। अभियुक्त की गतिविधियों का संदर्भ वैचारिक प्रचार और भर्ती के आरोपों की प्रकृति में है। अपीलार्थियों द्वारा प्रेरित इस "संघर्ष" में कथित रूप से भर्ती किए गए

या शामिल हुए किसी भी व्यक्ति का कोई सबूत हमारे सामने नहीं लाया गया है। इस प्रकार, हम एन.आई.ए. के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ताओं ने एक आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध को अंजाम दिया है।

43. जहूर अहमद शाह वटाली (ऊपर) के मामले में जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल-बनाम-तमिलनाडु राज्य [(2005) 2 एस.सी.सी. 13] के फैसले का संदर्भ दिया गया था, जिसमें राज्य-बनाम-जगजीत सिंह (ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 253) और गुरचरण सिंह-बनाम-राज्य (दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश) [(1978) 1 एस.सी.सी. 118] के मामलों में इस अदालत के पहले के दो फैसलों का हवाला देते हुए सामान्य परिस्थितियों में जमानत देने के कारकों पर चर्चा की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, साक्ष्य की प्रकृति, परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं, कि उपस्थिति की एक उचित संभावना है। अभियुक्त का मुकदमें में सुरक्षित न होना; गवाहों के नरम होने की उचित आशंका; जनता या राज्य का व्यापक हित जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए प्रासंगिक कारक होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 पर स्थापित अपीलार्थियों के मामले को उपरोक्त आरोपों के साथ जोड़ते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उन्हें हिरासत में लिए जाने के लगभग पांच साल बीत चुके हैं, हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थियों ने जमानत देने के लिए मामला बनाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन केवल इसी कारण से उन्हें जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराधों से निपटने के दौरान, हमने इस स्तर पर उनके खिलाफ उपलब्ध सामग्री का उल्लेख किया है। ये सामग्री 1860 की संहिता और 1967 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत मामले के अंतिम परिणाम तक अपीलार्थियों की निरंतर हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकती हैं।”

7.13. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि **वर्नोन** (उपरोक्त) के उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित प्रावधानों पर विचार किया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबंधित अभियुक्त पांच साल से अधिक समय से हिरासत में था, उक्त अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी अग्रिम जमानत देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वर्तमान मामले में जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है और इसलिए, उपरोक्त निर्णय अपीलार्थियों को इसमें कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे।

7.14. **शोमा कांति सेन** (ऊपर) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले के कई फैसलों पर विचार किया है और उसके बाद संबंधित आरोपी को मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया है कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित उम्रदराज महिला है। उनके द्वारा हिरासत में लिए जाने की अवधि के साथ-साथ आरोप की प्रकृति और अदालत के समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद आरोप तय करने में देरी हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया। हम उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर विवाद नहीं कर सकते। हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर

चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में, जाँच एजेंसी द्वारा जाँच के दौरान पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है। इसलिए, अपीलार्थियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाता है। इसके अलावा, वर्तमान अपील अग्रिम जमानत देने के लिए हैं और इसलिए, जिन निर्णयों पर अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया है, वे उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे।

7.15. इस प्रकार, वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थियों से अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता है। आगे जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अपीलार्थियों के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मामला बनाया गया है और इसलिए, यू.ए.पी.ए. की धारा 43 डी (4) में निहित बाधा को आकर्षित किया जाएगा।

7.16. हमने अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदनों को अस्वीकार करते हुए विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना, बिहार द्वारा दर्ज तर्क को भी देखा है और हमारा विचार है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना, बिहार ने उनके आवेदनों को अस्वीकार करते समय कोई त्रुटियां नहीं की हैं।

8. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम वर्तमान अपीलों पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

9. तदनुसार, सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद्र मालवीय, न्यायमूर्ति)

पवन/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।